

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005
मैन्युअल

वर्ष 2010–2011 की अद्यतन स्थिति में
(धारा 4 (1) के अन्तर्गत)

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय इन्दौर म0प्र0

— अनुक्रमणिका —

1.	कार्य एवं कर्तव्य ।
2.	अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य ।
3.	निर्णय लिए जाने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन
● Rules of Business	
4.	<p>कार्य के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड</p> <ul style="list-style-type: none"> ● मंत्रालयीन कार्य प्रणाली पुस्तिका ● म.प्र. शासन के कार्य (आवंटन नियम) ● म.प्र.कार्यपालक शासन के कार्य नियम
5.	नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, कार्य के निर्वहन के लिए मैनुअलों और रिकार्डों की सूची जिनका उपयोग कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाता है।
6.	नियंत्रण में रखे गये अधिकारिक दस्तावेज़ ।
7.	निति निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व (निरंक)
8.	समितियों के बारे में जानकारी ।
9.	अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देषिका ।
10.	अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक विनियमों में प्रदान की गई प्रणाली की क्षतिपूर्ति सहित ।
11.	प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें योजनाएं आदि शामिल हैं।
12.	सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रबंध (निरंक)
13.	रिवायते परमिट्या के प्राप्तकर्ता के विवरण, लोकप्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अनुदान (निरंक)
14.	इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध सूचना ।
15.	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपतन्य सुविधाओं का विवरण पुस्तकालय रिडिंग रूम इयादि ।
16.	सहायक लोक सूचना अधिकारी, सोका सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण ।
17.	अन्य उपयोगी जानकारी

	<ul style="list-style-type: none"> ● पुरस्कार ● विशिष्टता सूची ● पदों की जानकारी ● विभागीय जांच ● सूचना का अधिकार अध्ययन रिपोर्ट ● थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट ● वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन ● पुस्तकालय
18.	निविदाएँ
19.	सार्वजनिक निजी साझेदारी (निरंक)
20.	स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश
21.	आरटीआई आवेदन प्राप्त एवं निराकरण
22.	सीएजी और पीएसी पैरा (निरंक)
23.	सेवा प्रदाय एक्ट
24.	डिस्केशनरी और नॉन-शिनरी अनुदान (विवेकाधीन और गैर विवेकाधीन अनुदान
25	सीएम मंत्रियों अधिकारियों के विदेशी दौरे (निरक)

1. कार्य एवं कर्तव्य

कार्य :-

कार्यालय के कार्य क्षेत्र जिला इन्दौर तथा धार में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के तहत मुख्य रूप से विकास अनुज्ञा, भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र एवं भू-व्यपवर्तन अभियान, प्रदान करने का कार्य किया जाना है। इसी अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, विकास प्राधिकरण, आदि को उनकी योजनाओं के संदर्भ में तकनिकी परामर्श/अभियान प्रदान किया जाता है।

कर्तव्य :-

नगरों को सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल के द्वारा दिए गए लक्ष्य अनुसार नगरों की विकास योजनाएँ तैयार करना कार्यालय का महत्वपूर्ण दायित्व है।

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश इन्डौर म0प्र0 धारा—4(बी) के बिन्दु—2 की जानकारी अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की निदेशिका (डायरेक्टरी) निम्नानुसार है

कार्य विभाजन

<u>अनुक.</u>	<u>अधिकारी कर्मचारी का नाम पदनाम</u>	<u>शक्तियों का दायित्व</u>
<u>1.</u>	<u>2.</u>	<u>3.</u>
1.	श्री एस.के. मुदगल संयुक्त संचालक	<p>—जिला कार्यालय प्रमुख को प्रशासनिक एंव वित्तीय दायित्वों का निर्वहन हेतु शक्तियों प्रदत्त है।</p> <p>— म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम—1973 तथा म. प्र. भूमि विकास नियम—2012 के प्रावधानों तथा शासन/संचालनालय द्वारा जारी परिपत्र/आदेशों के अन्तर्गत संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित कर निर्धारित समयावधि में अनुज्ञाए प्रदान करना।</p> <p>— अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य अनुसार विकास योजनाएँ तैयार करने संबंधी कार्यवाही करना एंव प्रारूप तैयार कर संचालनालय को अग्रेषित करना तथा पुर्नविलोकन का कार्य सम्पन्न करना।</p>
2.	श्री काजेसिंह गवली सहायक संचालक	संयुक्त संचालक, के द्वारा सौंपे गए दायित्वों में इन्डौर के समस्त प्रकार के प्रकरणों का अधिनियमों के तहत निराकरण हेतु परीक्षण एंव आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण उपरांत प्रकरण कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना तथा विकास योजना का कार्य संयुक्त संचालक, के मार्गदर्शन में सम्पन्न किया जाना।
3.	श्री सारंग गुप्ता सहायक संचालक	संयुक्त संचालक, के द्वारा सौंपे गए दायित्वों में इन्डौर के समस्त प्रकार के प्रकरणों का अधिनियमों के तहत निराकरण हेतु परीक्षण एंव आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण उपरांत प्रकरण कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना तथा विकास योजना का कार्य संयुक्त संचालक, के मार्गदर्शन में सम्पन्न किया जाना।

4.	<p>कुमारी श्रुति तायडे उपयंत्री</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● इंदौर विकास योजना में सम्मिलित ग्राम। <p>निपान्या, अरंडिया, तलावली चांदा, राउखेड़ी, लसूडिया परमार, कैलोदहाला, शक्करखेड़ी, भांग्या, जाख्या, बारोली, अलवासा, रेवती, कनाडिया, भिचौली मर्दाना, भिचौली हप्सी, टिगरियाराव, मायाखेड़ी, पिपल्याकुमार निरंजनपुर खजराना, खजरानी, कुर्मेड़ी, सुखलिया, नरवर, बरदरी, मांगल्या सड़क, भौरासला, भानगढ़, कबीरखेड़ी।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम। <p>पलास्या, कदवली बुजुर्ग, सुलाखेड़ी, मुण्डलाबाग, पानौड़, बाल्याखेड़ी, झालारिया, हिंगोन्या, उपड़ीनाथा, बिसनखेड़ा, बुरानाखेड़ी, छिटकाना, खत्रीखेड़ी, साहूखेड़ी।</p>
5.	<p>श्री विजय जत्थाप उपयंत्री</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● इंदौर विकास योजना में सम्मिलित ग्राम। <p>लिंबोदागारी, पालाखेड़ी, टिगरिया बादषाह, बाणगंगा, भागीरथपुरा, गाडराखेड़ी, बुढानिया, जंबुर्डीहप्सी, बिसनावदा, सुल्काखेड़ी, तलावली, अहीरखेड़ी, बिजलपुर, चितावद, नावदापंथ, सिरपुर, तेजपुर गड़बड़ी, लसूडिया मोरी, हुक्माखेड़ी, छोटा बांगड़दा, बड़ा बांगड़दा, सिंहासा, मुसाखेड़ी, पालदा, सुखनिवास, कलारिया, श्रीराम तलावाली, नैनोद, रिजलाय</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम। <p>रिंगनोदिया, अमलीखेड़ी, पंचडेहरिया, पांड्या बजरंग, जस्सा कराडिय, सागवाल, सोनगीर, पितावली, खारवाखेड़ी, सतलाना, पालिया हैदर, पुवार्डाजुर्नादा, मुरादपुरा, बड़ौदिया एमा, रामपिपल्या, गारी पिपल्या, बरलाई जागीर।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● तहसील देपालपुर ● तहसील सांवेर ● तहसील हातोद

6.	<p>श्री अनूप खेरदे उपयंत्री</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● इंदौर विकास योजना में सम्मिलित ग्राम। <p>कस्बा इंदौर, पिपल्याहाना, दूधिया, भमौरी दुबे, रंगवासा, पिपल्याराव, लिंबोदी, निहालपुर मुंडी, मुंडला नायता, पलासियाहाना, देवगुराडिया, फतनखेडी, राउ।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम। <p>पीरकराडिया, बडौदा अर्जुन, डकाच्या, सिलोटिया, मगरखेड़ा, बिजुखेडी, ढाबली, टोडी, खाखरोड़, बेगमखेडी, खेमना, चौहानखेडी, रामगढ, गारी पिपल्या, आम्बामाल्या, हासाखेडी, असरावद बुजुर्ग।</p>
7.	<p>श्री हेमेन्द्र तिवारी अन्वेषक</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● इंदौर विकास योजना में सम्मिलित ग्राम। <p>मोरोद, कैलोदकरताल, मांचला, नावदा, उमरिया, पानदा, बिलावली, पिगडंबर, सिंदौड़ा, सिंदौड़ी, कोडियाबर्डी, बांक, बड़ियाकीमा।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम। <p>राजपुरा उर्फ रैयतपुरा, पिपल्या झगड़ु, धरनावद, मुरादपुरा, बोरिया, औरंगपुरा, सावल्याखेडी, हिंगोनिया खुर्द, पिपल्यातफा, नौगांव, बोरसी, माली बडौदिया, मोहम्मदपुरा उर्फ लोडिया, सिंगावदा, कलमेरबड़ी, गुरदाखेडी, रोजडी, फूलकराडिया, हतोद, खजुरिया, कांकरिया, बोडिया।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● तहसील महू।
8.	<p>श्री अभिषेक उड़के मानचित्रकार</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● इंदौर विकास योजना में सम्मिलित ग्राम। <p>मिर्जापुर, मालीखेडी, उमरिया खुर्द, सनावदिया, असरावद खुर्द, उमरीखेड़ा, रालामण्डल।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों को छोड़कर शेष समस्त ग्राम। <p>सोनकराडिया, कपाल्याखेडी, धामनाय, उज्जैनी, सोनवाय, जामन्याखुर्द, राजधरा, मुंडलादोस्तार, बिहाड़िया, तिल्लौरखुर्द।</p>

9.	श्रीमति वैशाली थोरात कम्प्यूटर ऑपरेटर	<ul style="list-style-type: none"> ● संचालनालय/शासन/जनसुनवाई/सी.एम.हेल्पलाईन / अद्व शासकीय पत्र/विधान सभा प्रश्नों के उत्तर संबंधी कार्य। ● सूचना के अधिकार अंतर्गत प्रकरणों के निराकरण/अपील प्रकरणों की मानीटरिंग। ● स्थापना का कार्य।
10.	कुमारी विनती हनुमंत शीघ्रलेखक	<ul style="list-style-type: none"> ● डिक्टेशन एवं टंकन कार्य तथा पूर्व आदेशानुसार नस्तियों का मूवमेंट
11.	श्री कमल सिसोदिया सहायक ग्रेड-1	<ul style="list-style-type: none"> ● जावक संबंधित कार्य का संपादन। ● लेखा संबंधी समस्त कार्य।
12.	श्रीमती इशरत जहौं कम्प्यूटर ऑपरेटर	<ul style="list-style-type: none"> ● सूचना का अधिकार 2005 से संबंधित कार्य का संपादन। ● आवक संबंधी समस्त कार्य।
13.	श्री पंकज मिश्रा	वाहन चालक
14.	श्री ओंकार यादव भृत्य	संयुक्त संचालक महोदय के कक्ष में भृत्य से संबंधी कार्य।
15.	श्री बालकिषन दवे भृत्य	रिकार्ड कार्य से संबंधित कार्य करना।
16.	द्वारका प्रसाद चैनमेन	आवक शाखा मे सहायक।
17.	श्रीमती पूर्णिमा मून चैनमेन	सहायक—संचालक के कक्ष में घंटी सुनना फाईलें संबंधित कर्मचारियों तक पहुँचाने आदि कार्य।
18.	श्री रामायण प्रसाद	जावक शाखा मे सहायक।
19.	श्री गणेश कुशवाह दै.वे.भोगी	सहायक—संचालक के कक्ष में घंटी सुनना फाईलें संबंधित कर्मचारियों तक पहुँचाने आदि कार्य।
20.	श्री धर्मन्द्र कचोटिया भृत्य	रिकार्ड कार्य से संबंधित कार्य करना।
21.	श्री उपेन्द्र मिश्रा भृत्य	जवक शाखा से प्राप्त डाको के वितरण संबंधी कार्य
22.	श्री रोहित पाटिल चौकीदार	चौकीदार संबंधी समस्त कार्य

3. निर्णय किये जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन।

नगरों की विकास योजना तैयार करने का वार्षिक लक्ष्य एवं प्रक्रिया, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल के स्तर से निर्धारित की जाती हैं तथा किये गए कार्यों का विभागीय सीमक्षा बैठक में संचालनालय स्तर पर समीक्षा एवं पर्यवेक्षण कर आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन संहित समयबद्ध रूप से विकास योजना तैयार करने की जवाबदेही जिला स्तरीय कार्यालयों को सौंपी जाती है।

- विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :—
 - निवेश क्षेत्र का गठन
 - वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र/रजिस्टरों का प्रकाशन
 - प्रकाशन के दिनांक से 30 दिन की अवधि में सर्वसाधारण से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करना।
 - आपत्ति/सुझावों की सुनवाई एवं वांछनीय उपान्तरण।
 - वर्तमान भूमि उपयोग का अंगीकरण।
 - विकास योजना प्रारूप (पुस्तक एवं मानचित्र) तैयार करना एवं उसका प्रकाशन।
 - प्रकाशन से 30 दिन के भीतर प्रारूप विकास योजना संबंधी जन साधारण से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करना।
 - प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई सुनिश्चित करना।
 - आपत्ति/सुझावों के आवश्यक वांछनीय उपान्तरणों का समायोजन करना।
 - प्रारूप विकास योजना में आपत्तियों के समायोजन के पश्चात् पुस्तक एवं मानचित्रों में सुधार कर विकास योजना संचालनालय के माध्यम से शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित करना।
 - शासन के द्वारा अनुमोदन के पश्चात् विकास योजना का अंतिम प्रकाशन।
 - विकास योजना हेतु निर्धारित समय-सीमा व्यतीत हो जाने के उपरांत विकास योजना का पुनर्विलोकन कार्य किया जाता है।

4. कार्य के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड

सूचना के अधिकार एवं सिटीजन चार्टर के अन्तर्गत विकास अनुज्ञा, भूमि उपयोग प्रमाण पत्र, अभिमत/अनापत्ति/नजूल/डायर्वर्शन के प्रकरणों का शासन/संचालनालय के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में अधिनियमों के तहत निश्चित शुल्क एवं आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर निराकरण किया जाता है। यथा :—

मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-23-11/2001/32-1/भोपाल, दिनांक 30/07/2001 द्वारा प्रभावशील।
सिटीजन चार्टर एवं सूचना का अधिकार

क्र.	कार्य/गतिविधि/योजना का नाम	प्रभारी/विहित अधिकारी	निपटारे की समय सीमा	निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को विकायत की जाना है, उसका पदनाम	शिकायत निराकरण का समय
1	2	3	4	5	6
1	विकास अनुज्ञा दिया जाना	प्रभारी जिला अधिकारी	60 दिन	संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र.	15 दिन
2	भवन अनुज्ञा अनापत्ति (स्थानीय निकाय सीमा एवं निवेश क्षेत्र सीमा के बीच	प्रभारी जिला अधिकारी	30 दिन	संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र.	15 दिन
3	भूमि उपयोग प्रमाण पत्र	प्रभारी जिला अधिकारी	07 दिन	संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र.	15 दिन
4	अभिमत/अनापत्ति सूचना (नजूल डायर्वर्शन/सक्षम अधिकारी	प्रभारी जिला अधिकारी	30 दिन	संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र.	15 दिन
5	भूमि उपयोग प्रमाण पत्र 1. पूर्व में जारी प्रमाण पत्र की प्रति 5/- रुपये प्रति पृष्ठ 2. नये क्षेत्र/भूमि का प्रमाण पत्र 50/- रुपये (भू-स्वामी को छोड़कर)	प्रभारी जिला अधिकारी	30 दिन	संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र.	15 दिन

	3. नये क्षेत्र/भूमि का प्रमाण पत्र (भू-स्वामी को छोड़कर)				
6	स्वीकृत अभिन्यास अनुज्ञा पत्र की प्रति रूपये 25/- प्रति वर्गफीट (औचित्य बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर)	प्रभारी जिला अधिकारी	30 दिन	संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र.	15 दिन
7.	लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम के अंतर्गत 7.1 भूमि उपयोग जानकारी 7.2 रोड़ की चौड़ाई 7.3 कॉलोनी विकास की अनुमति	प्रभारी जिला अधिकारी	7 दिन	कलेक्टर, जिला इंदौर	10 दिन

टीप :— सिटीजन चार्टर एवं सूचना के अधिकार के तहत वर्णित विभिन्न प्रकार के आवेदनों को यदि विहित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा समय पर निराकरण नहीं किया जाता और न ही अपीलकर्ता की अपील पर संबंधित अधिकारी द्वारा समय—सीमा में कार्यवाही नहीं की जाती है तब ऐसी स्थिति में आम नागरिकों राज्य शासन को ई—मेल पर अथवा सीधे आवेदन कर सकते हैं।

5. नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, कार्य के निर्वहन के लिए मैनुअलों और रिकार्डों की सूची जिनका उपयोग कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाता है।

1. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
2. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012
3. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012
4. आवास नीति
5. अनुमोदित विकास योजना पुस्तक एवं मानचित्र
6. शासन द्वारा जारी तकनीकी परिपत्र एवं संचालक द्वारा जारी परिपत्र एवं निर्देश/आदेश
7. मध्य प्रदेश शासन के वित विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किए गए परिपत्र/निर्देश आदि।

6. नियंत्रण में रखे गए अधिकारिक दस्तावेज

1. इन्दौर नगर मानचित्र/आधार मानचित्र
2. धारा 16, 27, 28 एवं 29 के प्रकरणों का भूमि उपयोग मानचित्रों का फोल्डर
3. अनुमोदित इन्दौर विकास योजना 1991 के प्रस्तावों की खसरा पेनल शीट
4. विभिन्न धाराओं के तहत निराकृत प्रकरणों की अभिलेख पंजी
5. अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग के मानचित्र एवं रजिस्टर
6. अनुमोदित विकास योजनाओं की पुस्तकें
7. शासन द्वारा समय—समय पर पर जारी आदेश/परिपत्र

7. नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व

निरंक

8. समितियों के बारे में जानकारी

- म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 क (1) की समिति (परिशिष्ट-1)
- नियोजन पर्यवेक्षण समिति (परिशिष्ट-2)
- म.प्र. हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 (परिशिष्ट-3)

बिन्दु क्रमांक-9

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर म0प्र0 धारा-4(बी) के बिन्दु-9 की जानकारी अनुसार शासकीय सेवकों की निदेशिका (डायरेक्टरी) निम्नानुसार है

अनुक्र.	शासकीय सेवक का नाम	पद नाम	पता	दूरभाष क्रमांक
1.	श्री शिवकांत मुदगल	संयुक्त संचालक	बंगला नं0-4आई.डी.ए. स्क.54	94251-11008
2.	श्री काजेसिंह गवली	सहायक संचालक	91-अम्बेडकर नगर	98933-60392
3.	श्री सारंग गुप्ता	सहायक संचालक	25 न्यू अग्रवाल नगर इंदौर	99777-88192
4.	कु0विनती हनुमंत	शीघ्रलेखक	555 कुलकर्णी का भट्टा	96691-23984
5.	श्रीमती वैशाली थोरात	कम्प्यूटर आपरेटर	19 / 21 सुयष्ठ विहार	96301-15433
6.	श्री कमल सिसौदिया	सहायक ग्रेड-3	15 अलकापुरी इन्दौर म0प्र0	79096-65346
7.	श्रीमति इशरत जहौ	सहायक ग्रेड-3	खजराना दमदम चौराहा इंदौर	73540-01340
8.	श्री अभिषेक उड़िके	मानचित्रकार	काउंटी वाक कॉलोनी इंदौर	99260-62348
9.	श्री विजय जत्थाप	उप-यंत्री	17, एल.आई.जी कॉलोनी इंदौर	98938-50455
10.	कु0 श्रुति तायडे	उप-यंत्री	203 द्वारका अपार्टमेंट रेसकोर्स	83588-74004
11.	श्री हेमेन्द्र तिवारी	अन्वेषक	109 सुखलिया इंदौर	98260-30424
12.	श्री अनूप खेरदे	उप-यंत्री	गणेश नगर खण्डवानाका इंदौर	94246-09609
13.	श्री पंकज मिश्रा	वाहन चालक	द्वारकापुरी इंदौर	70003-63100
14.	बालकिशन दवे	भृत्य	69 जयहिन्द नगर इन्दौर	99778-26767
15.	श्री औंकार यादव	भृत्य	325 समाजवाद नगर	84619-70504
16.	श्री रामायणप्रसाद	भृत्य	91-अम्बेडकर नगर	98933-60392
17.	श्रीमती पूर्णिमा मून	चेनमेन	बी.2 नैनोसिटी इन्दौर	90090-43319
18.	श्री द्वारकाप्रसाद वर्मा	चेनमेन	323 जगजीवनराम नगर	91799-21250,
19.	श्री रोहित पाटिल	चौकीदार	लाला राम नगर इंदौर	83190-91706
20.	श्री गणेशप्रसाद	दै.वे.भोगी	94-गंगादेवी नगर इन्दौर	98263-58983
21.	श्री धर्मेन्द्र कचोटिया	संविदा भृत्य	31 उपाध्याय नगर देवास	97135-29340
22.	श्री उपेन्द्र मिश्रा	संविदा भृत्य	मालवीय नगर इंदौर	91797-41747

बिन्दु क्रमांक-10

अधिनियम की धारा 4 के बिन्दु-10 मासिक परिश्रमिक जो प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। माह जनवरी-2023 की स्थिति में।

अनु. क.	कर्मचारी का नाम पदनाम	वेतन	मंहगाई भत्ता	अन्य भत्ता	योग
1.	श्री शिवकांत मुदगल संयुक्त संचालक	130600	49628	4291	184519
2.	श्री काजेसिंह गवली सहायक संचालक	75700	28766	2520	106986
3.	श्री सारंग गुप्ता सहायक संचालक	61300	23294	2100	86694
4.	श्री कमल सिसोदिया, सहा. ग्रेड-3	24000	9120	1019	34199
5.	श्रीमति इशरत जहाँ सहा.ग्रेड-3	21900	8322	910	31132
6.	श्रीमती वैशाली थोरात कम्प्यूटर ऑपरेटर	24733			24733
7.	कु. विनती हनुमंत, शीघ्रलेखक	39800	15124	1497	56421
8.	श्री अभिषेक उझके मानचित्रकार	39100	14858	200	54158
9.	श्री विजय जत्थाप उप-यंत्री	41500	15770	1450	58720
10.	कु0 श्रुति तायडे उप-यंत्री	40300	15314	1450	57064
11.	श्री हेमेन्द्र तिवारी अनवेषक	32300	12274	13117	45891
12.	श्री पंकज मिश्रा वाहन चालक	10902	—	—	10902
13.	श्री रामायण पटेल भृत्य	21500	8170	976	30646
14.	श्री बालकिशन दवे भृत्य	38500	14630	1554	54684

15.	श्री ओंकार यादव भृत्य	34400	13072	1379	48851
16.	श्री द्वारकाप्रसाद वर्मा चेनमेन	38500	14630	1523	54653
17.	श्रीमती पूर्णिमा मून चेनमेन	28200	10776	1427	40343
18.	श्री गणेश प्रसाद स्थायी कर्मी	6000	12180	200	18380
19.	श्री धर्मेन्द्र कचोटिया भृत्य	13625	—	—	13625
20.	श्री उपेन्द्र मिश्रा भृत्य	13625	—	—	13625
21.	श्री रोहित पाटिल चौकीदार	13950	5301	545	19796

बिन्दु क्रमांक-11

मांग संख्या-21 आवास एंव पर्यावरण
मुख्य शीर्ष -2217 अर्बन डेव्हलपमेंट
सब मुख्य शीर्ष -05 अदर अर्बन डेव्हलपमेंट
माइनर हेड-001 डायरेक्शन एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन
स्कीम (2020) नगर एंव ग्राम निवेश

अ नु- क.	मद	बजट आवंटन 2022-2023	दिनांक 31 जनवरी-20 23 तक व्यय की गई राशि	शेष बजट राशि
1.	11-वेतन एंव भत्ते 001 वेतन	8991275.00	8027154.00	0
	002-पे आफ कॉटीजेंट इस्टेबिलिशमेंट	0	0	0
	003- मंहगाई भत्ता	2681668.00	2431989.00	0
	006- मकान किराया	253676.00	232953.00	0
	008- अन्य भत्ते	34800.00	31850.00	0

	011—त्यौहार अग्रिम	0	0	0
	016—अनाज अग्रिम	0	0	0
	11—025—संविदा वेतन	864500.00	788590.00	0
2.	19— कांटीजेंसी वेतन 001 वेतन	162900.00	146500.00	16400.00
	003— मंहगाई भत्ता	53761.00	48484.00	5277.00
	006— मकान किराया	3760.00	3056.00	704.00
	008— अन्य भत्ते	2975.00	2150.00	825.00
3.	22—कार्यालयीन व्यय	20000.00	20000.00	0
	001—सर्विस पोस्टेज स्टेम्प			
	002—दूरभाष व्यय	10897.0	10897.0	0
	005—बिजली एंव जलप्रभार	265040.00	265040.00	0
	006—वर्दी	21000.00	15000.00	0
	009— पेट्रोल / तेल	55000.00	55000.00	0
	011— किराया महसूल	604480.00	116200.00	0
4.	31—वकीलों की फीस	30000.00	24000.00	0
	006—कंजरवेन्सी सर्विसेस			
5.	34—006	5000.00	5000.00	0
6.	2621 विकास योजना बनाना एंव पुर्नविलोकन एंव उपान्तरण करना	102700.00	92756.00	9944.00
	12— 001 मजदूरी वेतन			
	12— 003 मंहगाई भत्ता	141940.00	129038.00	12902.00
	12— 006 मकान किराया	1665.00	600.00	1065.00
	12— 008 अन्य भत्ते	2600.00	2200.00	400.00
7.	22—कार्यालयीन व्यय	156000.00	144616.00	1384.00
	007— स्टेशनरी एंव फार्म			
	008— अदर कॉटीजन्सी	180000.00	160000.00	0
	012—मुद्रण एंव प्रकाशन	320000.00	311692.00	8308.00
	013— अन्य व्यय	350000.00	237864.0	0
8.	006—2071—01—115—9999—9998 —13—000—V आईटी उपकरणों का क्रय	244250.00	244250.00	0

लोकसूचना अधिकारी

सं. क्र	कार्यालय का नाम	लेकसूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	दूरभाष क्रमांक कार्यालय	ई—मेल
1	नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर	श्री शिवकांत मुदगल पद— संयुक्त संचालक	(0731) 2554666	mudgal.sk@mptownpl an.gov.in

सहायक लोकसूचना अधिकारी

सं. क्र	कार्यालय का नाम	लेकसूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	दूरभाष क्रमांक कार्यालय	ई—मेल
1.	नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर	श्री काजेसिंह गवली पद— सहायक संचालक	(0731) 2554666	gawali.sk@mptownpla n.gov.in

17. अन्य उपयोगी जानकारी

निरंक

18. निविदाएँ

निरंक

19. सार्वजनिक निजि साझेदारी

निरंक

20. स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश

निरंक

21. आरटीआई आवेदन प्राप्त एवं निराकरण
- वर्ष 2022 मे सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत कुल 543 आवेदन प्राप्त हुए जिनमे से 234 प्रकरणो का निराकरण किया गया।
22. सीएजी और पीएसी पैरा
निरंक
23. सेवा प्रदाए एकट
- म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सेवायें (परिशिष्ट-4 एवं 5)
24. डिस्क्रेशनरी और नॉन डिस्क्रेशनरी अनुदान
निरंक
25. सीएम/मंत्रियो/अधिकारियो के विदेशी दौरे
निरंक

Sumit
संयुक्त संचालिक
नगर तथा ग्राम निगम
जिला इन्दौर (म.प्र.)



नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

क्रमांक एफ ०३-९८/२०२१/१८-५ :::: राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ की धारा १७-क(१) के अन्तर्गत इन्दौर विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-३-१४४-बत्तीस-१० भोपाल, दिनांक १४.०९.२०१० को निरस्त करते हुये इन्दौर विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है। यह समिति, अधिनियम की धारा १७-क (२) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

अधिनियम की धारा १७ क (१) की उपधारा	पदनाम	संस्था/पता	समिति में पद
१	२	३	४
(क)	अध्यक्ष	महापौर, नगर पालिक निगम, इन्दौर	सदस्य
	अध्यक्ष	नगर पंचायत राऊ, जिला इन्दौर	सदस्य
	अध्यक्ष	नगर पंचायत हातोद, जिला इन्दौर	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, इन्दौर	सदस्य
(ग)	संसद सदस्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, इन्दौर	सदस्य
(घ)	१. विधानसभा	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र. ०१, इन्दौर	सदस्य
	२. विधानसभा	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र. ०२, इन्दौर	सदस्य
	३. विधानसभा	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र. ०३, इन्दौर	सदस्य
	४. विधानसभा	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र. ०४, इन्दौर	सदस्य
	५. विधानसभा	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र. ०५, इन्दौर	सदस्य
	६. विधानसभा	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र राऊ, जिला इन्दौर	सदस्य
	७. विधानसभा	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र महू, जिला इन्दौर	सदस्य
	८. विधानसभा	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देपालपुर, जिला इन्दौर	सदस्य
	९. विधानसभा	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सांवेर, जिला इन्दौर	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर	सदस्य
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, इन्दौर	सदस्य
	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, सांवेर, जिला इन्दौर	सदस्य
	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, देपालपुर, जिला इन्दौर	सदस्य

अधिनियम की शारा 17 के (1) की उपधारा	पदनाम	संस्था/पता	समिति में पद
	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, अम्बेडकर नगर (महू), जिला इन्दौर	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, जम्बूडी हप्सी (ग्राम जम्बूडी हप्सी, पिपल्यातफा एवं हिंगोन्याखुर्द)	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, लिम्बोदा गारी (ग्राम लिम्बोदा गारी एवं पालाखेड़ी)	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, बुढानिया (ग्राम बुढानिया एवं सोनगीर)	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, सिंहासा (ग्राम सिंहासा)	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, नावदापंथ (ग्राम नावदापंथ एवं श्रीराम तलावली)	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, सिंदौडा (ग्राम सिंदौडा)	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, नरलाय (ग्राम सिंदौडी)	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, रिजलाय (ग्राम रिजलाय एवं सावल्याखेड़ी)	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत, बिसनावदा (ग्राम बिसनावदा)	सदस्य
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत, कलारिया (ग्राम कलारिया एवं धरनावद)	सदस्य
	11. सरपंच	ग्राम पंचायत, रंगवासा (ग्राम रंगवासा)	सदस्य
	12. सरपंच	ग्राम पंचायत, माचला (ग्राम माचला)	सदस्य
	13. सरपंच	ग्राम पंचायत, मोरोद (ग्राम मोरोद)	सदस्य
	14. सरपंच	ग्राम पंचायत, उमरीखेड़ा (ग्राम उमरीखेड़ा)	सदस्य
	15. सरपंच	ग्राम पंचायत, रालामंडल (ग्राम रालामंडल)	सदस्य
	16. सरपंच	ग्राम पंचायत, मिर्जापुर (ग्राम मिर्जापुर)	सदस्य
	17. सरपंच	ग्राम पंचायत, असरावद खुर्द (ग्राम असरावद खुर्द)	सदस्य
	18. सरपंच	ग्राम पंचायत, कैलोदहाला (ग्राम कैलोदहाला)	सदस्य
	19. सरपंच	ग्राम पंचायत, बड़ियाकीमा (ग्राम बड़ियाकीमा एवं मालीखेड़ी)	सदस्य
	20. सरपंच	ग्राम पंचायत, देवगुराड़िया (ग्राम देवगुराड़िया)	सदस्य
	21. सरपंच	ग्राम पंचायत, दुधिया (ग्राम दुधिया)	सदस्य
	22. सरपंच	ग्राम पंचायत, सनावदिया (ग्राम सनावदिया)	सदस्य
	23. सरपंच	ग्राम पंचायत, उमरिया खुर्द (ग्राम उमरिया खुर्द)	सदस्य

अधिनियम की धारा 17 क (1) की उपधारा	पदनाम	संस्था/पता	समिति में पद
24. सरपंच	ग्राम पंचायत, नैनोद (ग्राम नैनोद एवं कोडिंयाबड़ी)	सदस्य	
25. सरपंच	ग्राम पंचायत, बांक (ग्राम बांक)	सदस्य	
26. सरपंच	ग्राम पंचायत, रोजड़ी (ग्राम रोजड़ी एवं गुरदाखेड़ी)	सदस्य	
27. सरपंच	ग्राम पंचायत, फूलकराड़िया (ग्राम फूलकराड़िया)	सदस्य	
28. सरपंच	ग्राम पंचायत, कलमेर बड़ी (ग्राम कलमेर बड़ी एवं माली बड़ोदिया)	सदस्य	
29. सरपंच	ग्राम पंचायत, पानौड़ (ग्राम पानौड़ एवं बाल्याखेड़ी)	सदस्य	
30. सरपंच	ग्राम पंचायत, चौहानखेड़ी (ग्राम चौहानखेड़ी एवं खेमाना)	सदस्य	
31. सरपंच	ग्राम पंचायत, झलारिया (ग्राम झलारिया एवं हिंगोन्या)	सदस्य	
32. सरपंच	ग्राम पंचायत, बिसनखेड़ा (ग्राम बिसनखेड़ा एवं उपड़ीनाथा)	सदस्य	
33. सरपंच	ग्राम पंचायत, बेगमखेड़ी (ग्राम बेगमखेड़ी, खन्नीखेड़ी एवं छिटकाना)	सदस्य	
34. सरपंच	ग्राम पंचायत, गारी पिपल्या (ग्राम गारी पिपल्या, रामगढ़ एवं हासाखेड़ी)	सदस्य	
35. सरपंच	ग्राम पंचायत, असरावद बुजुर्ग (ग्राम असरावद बुजुर्ग एवं आम्बामोल्या)	सदस्य	
36. सरपंच	ग्राम पंचायत, जामन्या खुर्द (ग्राम जामन्या खुर्द)	सदस्य	
37. सरपंच	ग्राम पंचायत, बिहाड़िया (ग्राम बिहाड़िया)	सदस्य	
38. सरपंच	ग्राम पंचायत, तिल्लौर खुर्द (ग्राम तिल्लौर खुर्द)	सदस्य	
39. सरपंच	ग्राम पंचायत, सिंधी बड़ौदा (ग्राम कपाल्याखेड़ी)	सदस्य	
40. सरपंच	ग्राम पंचायत, धमनाय (ग्राम धमनाय एवं सोनगुराड़िया)	सदस्य	
41. सरपंच	ग्राम पंचायत, सोनवाय (ग्राम सोनवाय एवं उज्जैनी)	सदस्य	
42. सरपंच	ग्राम पंचायत, मुंडला दोस्तदार (ग्राम मुंडला दोस्तदार एवं राजधरा)	सदस्य	
43. सरपंच	ग्राम पंचायत, बुरानाखेड़ी (ग्राम बुरानाखेड़ी एवं साहूखेड़ी)	सदस्य	

अधिनियम की धारा 17 क (1) की उपधारा	पदनाम	संस्था/पता	समिति में पद
	44. सरपंच	ग्राम पंचायत, बोरिया (ग्राम बोरिया)	सदस्य
	45. सरपंच	ग्राम पंचायत, अलवासा (ग्राम अलवासा)	सदस्य
	46. सरपंच	ग्राम पंचायत, भांग्या (ग्राम भांग्याएवंजाख्या)	सदस्य
	47. सरपंच	ग्राम पंचायत, मगरखेड़ा (ग्राम मगरखेड़ाएवं बारोली)	सदस्य
	48. सरपंच	ग्राम पंचायत, मांगलिया (ग्राम मांगलिया)	सदस्य
	49. सरपंच	ग्राम पंचायत, लसूड़िया परमार (ग्राम लसूड़िया परमारएवं राहूखेड़ी)	सदस्य
	50. सरपंच	ग्राम पंचायत, खजुरिया (ग्राम खजुरिया)	सदस्य
	51. सरपंच	ग्राम पंचायत, कांकरिया बोर्डिया (ग्राम कांकरिया बोर्डिया एवं सगवाल)	सदस्य
	52. सरपंच	ग्राम पंचायत, मुरादपुरा (ग्राम मुरादपुरा एवं सतलाना)	सदस्य
	53. सरपंच	ग्राम पंचायत, पालिया हैदर (ग्राम पालिया हैदर, खारवा खेड़ी, पुवार्डाजुनावा एवं पितावली)	सदस्य
	54. सरपंच	ग्राम पंचायत, रिंगनोदिया (ग्राम रिंगनोदिया एवं बड़ौदिया ऐमा)	सदस्य
	55. सरपंच	ग्राम पंचायत, पांड्या बजरंग (ग्राम पांड्या बजरंग एवं आमलीखेड़ी)	सदस्य
	56. सरपंच	ग्राम पंचायत, टोडी (ग्राम टोडी एवं खाखरोड़)	सदस्य
	57. सरपंच	ग्राम पंचायत, राम पिपल्या (ग्राम राम पिपल्या, गारी पिपल्या एवं बिजुखेड़ी)	सदस्य
	58. सरपंच	ग्राम पंचायत, पंचडेहरिया (ग्राम पंचडेहरिया एवं जस्सा कराड़िया)	सदस्य
	59. सरपंच	ग्राम पंचायत, ढाबली (ग्राम ढाबली)	सदस्य
	60. सरपंच	ग्राम पंचायत, सुलाखेड़ी (ग्राम सुलाखेड़ी एवं मुंडलाबाग)	सदस्य
	61. सरपंच	ग्राम पंचायत, कदवाली बुजुर्ग (ग्राम कदवाली बुजुर्ग)	सदस्य
	62. सरपंच	ग्राम पंचायत, पलास्या (ग्राम पलास्या)	सदस्य
	63. सरपंच	ग्राम पंचायत, मंडलाबदा (ग्राम सिलोटिया)	सदस्य

अधिनियम की धारा 17 का (1) की उपधारा	पदनाम	संस्था/पता	समिति में पद
	64. सरपंच	ग्राम पंचायत, पीर कराड़िया (ग्राम पीर कराड़िया एवं बड़ौदा अर्जुन)	सदस्य
	65. सरपंच	ग्राम पंचायत, डकाच्या (ग्राम डकाच्या)	सदस्य
	66. सरपंच	ग्राम पंचायत, बरलाई जागीर (ग्राम बरलाई जागीर)	सदस्य
	67. सरपंच	ग्राम पंचायत, बोरसी (ग्राम बोरसी)	सदस्य
	68. सरपंच	ग्राम पंचायत, औरंगपुरा (ग्राम औरंगपुरा)	सदस्य
	69. सरपंच	ग्राम पंचायत, गलोड़ा (ग्राम मुरादपुरा एवं पिपल्या झगड़ा)	सदस्य
	70. सरपंच	ग्राम पंचायत, गुलावट (ग्राम मोहम्मदपुर उर्फ लोंडिया एवं सिंगावदा)	सदस्य
	71. सरपंच	ग्राम पंचायत, पंचबड़ोदिया (ग्राम नौगांव)	सदस्य
	72. सरपंच	ग्राम पंचायत, राजपुरा उर्फ रैयतपुरा (ग्राम राजपुरा उर्फ रैयतपुरा)	सदस्य
	73. सरपंच	ग्राम पंचायत, उमरिया (ग्राम उमरिया)	सदस्य
	74. सरपंच	ग्राम पंचायत, पिंडम्बर (ग्राम पिंडम्बर एवं पानदा)	सदस्य
	75. सरपंच	ग्राम पंचायत, नावदा (ग्राम नावदा)	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला इन्डौर	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्डौर	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	डायरेक्टर टेक्निकल, मेट्रो रेल, इन्डौर	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	डायरेक्टर, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इन्डौर	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया,	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया,	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स,	सदस्य
(झ)	समिति संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्डौर	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

शासन दिश

(11)

(4)

महाप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
ग्रामालय

१३८१

// आदेश //

२१५/१०८०

मानव विवर १३ ०२ २०१०

क्रमांक-एफ-३ ४५ / ३२/२०१० राज्य शासन के आदेश क्रमांक
एफ-३-१३०/३२/९७ दिनांक २०.१.१९९८, आदेश क्रमांक एफ-३-५५/३२/९८, दिनांक
१२.८.१९९६ एवं आदेश क्रमांक एफ-३-१३०/३२/९७, दिनांक ३ मई २००० के द्वारा
अनुमोदित विकास घोषनाओं के क्रियान्वयन हेतु सभागायुक्त / कलेक्टर की अधिकता
में गठित नियमान् एवं पर्यवेक्षण चर्चिति वाले एवं छारा नियमान् राज्याधिकारी विभाग
में उत्तम उपलब्ध कराया गया है।

1. राज्यसेवा भूम्यालय के नगरी हतु राज्याधिकारी तथा खाली

संख्या

भूम्यालय एवं अन्य नगरी हतु राज्याधिकारी खाली

संख्या

2. राज्याधिकारी छारा

संख्या

3. अध्यक्ष संबधित विकास प्राधिकारण

संख्या

4. अध्यक्ष, राज्याधिकारी विभाग

संख्या

5. नगरपालिका, संबधित नगर पालिका नियमान्

संख्या

6. नियंत्रण द्वारा अत्यांत आगे गले विभागमाना सेवी के विधायक

संख्या

7. अध्यक्ष, संबधित नगर पालिका

संख्या

8. अध्यक्ष संबधित नगर पंचायत

संख्या

9. मध्यप्रदेश नगर नियाण एवं नगर पालिका नियमान्

संख्या

10. संबधित आयुक्त, नगर पालिका / नगर पंचायत

संख्या

अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत

संख्या

11. लोक नियाण विभाग का संबधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री

संख्या

12. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबधित अधीक्षण यंत्री /

संख्या

कार्यपालन यंत्री

संख्या

13. ग्राम प्रदेश विवृत मण्डल का संबधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन

संख्या

यंत्री

संख्या

14. संबधित प्राधिकारण अध्यक्ष विशेष क्षम विकास प्राधिकारण का मुख्य

संख्या

कार्यपालन अधिकारी

संख्या

15. संयुक्त संचालक / उप संचालक / राज्याधिकारी नगर तथा

संख्या

ग्राम नियंत्रा, राज्याधिकारी जिला कार्यालय

संख्या

2/

6/2010

RK

15/2/10

(3)

- (अ) इस संकाति की वक्ता प्रदेश के महोने शासन की अधिकारी होगा।
- (ब) सदरय सचिव विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का संकाति विभाग के उपरिक योजना आयोजित के लाभ प्रदान करें।
- (स) फैदाचार्य दलाल द्वारा वक्ता नियुक्त होने के अधिकार बर्खी योजना के अधिकार पर वैधार कराए।

गृह्य प्रदेश के संविधान के अधीन
तथा अन्यतरीन

विजयनाथ देव
(वया नवाचकरण)
उप सचिव
मध्य प्रदेश

आदाया एवं व्यापारण विभाग

भाषाल दिनांक 15.04.2010

पृष्ठ ३ दफ्तर ३/५१३२/२००९

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास/लोक स्वारक्ष्य योजिका/पचायत एवं ग्रामोण विकास/लोक विभाग, मत्रालय, भौपाल।
 2. समस्त राजनायिकता, गृह्यप्रदेश।
 3. आयुक्त, गृह्यप्रदेश गृह निभाय गृहडल भाषाल।
 4. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भौपाल।
 5. समस्त कलेक्टर, गृह्यप्रदेश की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि जिले के अंतर्गत आने वाले संरादीय क्षेत्र के रांगादो, विधानसभा क्षेत्र के विधायिकों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं जिला पंचायतों तथा नगर पंचायतों को इन आदेशों से अवगत कराते का योग्य करें।
 6. समस्त संयुक्त रांगातक/उप रांगालक/राहायक संचालक, नगर तथा निवेश, जिला कार्यालय, मध्यप्रदेश।
 7. समस्त अधिक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश।
- की ओर अग्रेषित।

विजयनाथ देव
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

// आदेश //


मोपाल दिनांक ४/१/2020

क्रमांक एफ-३-५७/२०१८/१८-५ :— मध्य प्रदेश हस्तातंरणीय विकास अधिकार नियम-२०१८ के तहत संबंधित नगर के निवेश क्षेत्र के लिए प्रभाव क्षेत्र एवं प्राप्ति क्षेत्र अधिसूचित करने संबंधी कार्यवाही तथा इस पर विचार-विमर्श कर प्रस्ताव तैयार/परीक्षण करने हेतु विभागीय पत्र क्रमांक १५०२/२०१९/१८-५ दिनांक १३.०८.२०१९ के द्वारा समिति का गठन किया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार समिति अब नियम ५ (एक) के अंतर्गत केवल प्राप्ति क्षेत्र अधिसूचित किये जाने संबंधी कार्रवाई तथा इस पर विचार-विमर्श कर प्रस्ताव तैयार/परीक्षण करने हेतु कार्य करेगी :—

		अध्यक्ष
1.	संभागायुक्त	सदस्य
2.	संबंधित जिला कलेक्टर	सदस्य
3.	संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी (जहाँ लागू हो)	सदस्य
5.	नगर नियोजक, नगर पालिक निगम (जहाँ लागू हो)	सदस्य
6.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जहाँ लागू हो)	सदस्य
7.	अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन/नगर निगम (जहाँ लागू हो)	सदस्य
8.	म०प्र० मेट्रो रेल प्राधिकरण के प्रतिनिधि (जहाँ लागू हो)	सदस्य
9.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
10.	संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित अधिकतम ३ अन्य संबंधित अधिकारी	सदस्य
11.	संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक संबंधित नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय	संयोजक

उपरोक्त समिति के संयोजक निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र के संबंध में समिति प्रतिवेदन/अनुशंसा आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को प्रस्तुत करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(डॉ० शुभाशीष बैनर्जी)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभ

इंटरनेट पर लोड किया जा सकता है।
www.govtprintmp.nic.in से



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

मंगल 186]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-17.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रांति 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिमुक्त करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत

आवास एवं पर्यावरण विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील का प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.1	अंगीकृत विकास योजनाओं में भूमि उपयोग की जानकारी	जिला कार्यालय प्रमुख, नगर तथा ग्राम निवेश	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	10 कार्य दिवस	संभागायुक्त
17.2	अंगीकृत विकास योजनाओं में रोड की प्रस्तावित चौड़ाई की जानकारी	जिला कार्यालय प्रमुख, नगर तथा ग्राम निवेश	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	10 कार्य दिवस	संभागायुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
173	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत लघु श्रेणी के उद्योगों को समर्पित	शेंग्रीय अधिकारी, शेंग्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	120 कार्य दिवस मध्यम सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	30 कार्य दिवस प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	अख्यात, दिवस प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	अख्यात, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
174	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत वृहद/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को समर्पित	मध्यम सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	120 कार्य दिवस अख्यात, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	30 कार्य दिवस	सचिव, आवास एवं पर्यावरण	सचिव, आवास एवं पर्यावरण
175	प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकालित अथवा धारा 50 के अन्तर्गत अधिसूचित स्कीम में किसी निजी भूमि के सम्मिलित होने की जानकारी	प्रभारी अधिकारी, वास्तुविद शास्त्री	20 कार्य दिवस मुख्य कार्यपालन अधिकारी	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त	संभागायुक्त
176	प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकालित अथवा धारा 50 के अन्तर्गत अधिसूचित स्कीम में सम्मिलित भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा विकास करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनापति/आपति प्रदाय करना	प्रभारी अधिकारी वास्तुविद, शास्त्री	20 कार्य दिवस मुख्य कार्यपालन अधिकारी	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त	संभागायुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा अदेशानुसार,

इकबाल सिंह वैंस,
प्रमुख सचिव

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा सेवन समिति, मध्यप्रदेश द्वारा राज्यकार्य केन्द्रीय मुद्रालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रक्षेपित—2013.





मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मई 2015—वैशाख 28, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सर-लोसेप्र-पी.एस.जी.-5.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं (2)	पदाधिकारी का पदनाम (3)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (4)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (5)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (6)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (7)
5.5	कॉलोनाइजर लायसेंस.	(1) आयुक्त, नगरपालिक निगम के लिए. (2) कलेक्टर, नगरपालिका एवं नगर परिषद् के लिए.	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
5.6	1. कॉलोनी विकास अनुज्ञा (ले-आउट).	जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक/उप संचालक/ सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	60 कार्य दिवस.	1. अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश (जहां संयुक्त संचालक, जिला अधिकार के रूप में पदस्थ हैं).	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश.

12. सभिसडी कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रबंध।
 - प्रावधान नहीं है।
13. रियायते, परमिटया के प्राप्तकर्ता के विवरण, लोकप्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अनुदान
 - प्रावधान नहीं है।
14. इलेक्ट्रॉनिक फार्म मे उपलब्ध सूचना
 - कार्यालय की वेबसाईट mptownplan.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक फार्म मे सूचना उपलब्ध है।
15. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण पुस्तकालय/रिडिंग रूम आदि।
 - आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंगीकृत इंदौर विकास योजना एवं मानचित्र विक्रय हेतु उपलब्ध है। सिटीजन चार्टर एंव सूचना के अधिकार के तहत नियमानुसार निर्धारित शुल्क प्राप्त कर समय सीमा में जानकारी/सूचना उपलब्ध कराई जाती है।
16. सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2. संभागीय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश (जहां उप संचालक / सहायक संचालक जिला अधिकार के रूप में पदस्थ हैं).			
2. कॉलोनी विकास अनुज्ञा (आंतरिक विकास).	(1) कलेक्टर, नगरपालिका एवं नगर परिषद् के लिए. (2) आयुक्त, नगरपालिक निगम के लिए.	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त दिवस.	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	
5.7 भवन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र.	(1) नगरपालिका/नगर परिषद् क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी. (2) नगरपालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो). (3) आयुक्त, नगरपालिक निगम	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	
5.8 फायर एन.ओ.सी. (1) आस्थाई	मुख्य अभियन्ता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास. (2) नवीनीकरण	60 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग.	
	मुख्य अभियन्ता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.